प्र. सं. 33/2024 विविध अनवान निकूराम बनाम स्टेट जरिये थानाधिकारी पु. थाना पीलीबंगा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2024	अभिभाषकगण उपस्थित। वाहन मालिक मदन पुत्र ज्ञानीराम जाति भाट निवासी वार्ड नं. 22, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2024 की पालना में जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 मय R.C. को सुपुर्दगी में लेने हेतु 18 लाख का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामा सशर्त सहित आज दिनांक 31.01.2024 को पेश किये है। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा की शर्ते निम्नानुसार हैः– 1. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक के उपस्थित होने पर ही सुपुर्दगी प्रदान की जायेगी। 2. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 को किसी अन्य को रहन बैय, किसी प्रकार से अन्तरित तथा खुर्द नहीं करेगा। 3. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 के रंग रूप तथा आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। 4. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। 5. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 की आगे पीछे की रंगीन दो फोटो पेश करेगा। 6. जब्तशुदा वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर अपने हस्ताक्षरों सहित पेश करेगा। 7. वाहन की पंजीयन कॉपी व एक प्रमाणित प्रति। 8. थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा द्वारा दिनांक 18.01.2024 को वजह सबूत वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 को राज. गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत जब्तशुदा की सुपुर्दगी इस प्रार्थना पत्र की हद तक रहेगी। जब्तशुदा वाहन का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।	मदन निशानी अंगूठा (signed) 21
	गौवंशीय पशु मालिक निकूराम पुत्र श्री भारताराम जाति भाट निवासी वार्ड नं. 22, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2024 की पालना में जब्तशुदा गौवंशीय पशु को सुपुर्दगी में लेने हेतु 2 लाख का सुपुर्दगीनामा व इसी कदर राशि का जमानतनामा सशर्त सहित आज दिनांक 31.01.2024 को पेश किये है। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा को तस्दीक किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा की शर्ते निम्नानुसार हैः– 1. सुपुर्दगी हेतु स्वयं मालिक के उपस्थित होने पर ही सुपुर्दगी प्रदान की जायेगी। 2. जब्तशुदा गौवंशीय पशु को किसी अन्य को बैचान तथा अन्य जिले, राज्य में ले जाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। 3. न्यायालय द्वारा जब्तशुदा गौवंशीय पशु को तलब करने पर सुपुर्दगीदार स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा। 4. थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा द्वारा दिनांक 18.01.2024 को गौवंशीय पशु को राज. गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के अंतर्गत जब्तशुदा की सुपुर्दगी इस प्रार्थना पत्र की हद तक रहेगी। जब्तशुदा वाहन का अंतिम निस्तारण न्यायिक न्यायालय (Judicial Court) के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा को आदेश दिये जाते हैं कि एफ.आई.आर. सं. 28/2024 दिनांक 18.01.2024 में जब्तशुदा R.C. मय वाहन ट्रक नं. RJ31-GB-1911 का न्यायिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में जांच	ला.नि. निकूराम (thumb impression) (signed) 21

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested

आदि हेतु वाहन की आवश्यकता ना हो तो उक्त जब्तशुदा वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर वाहन की पंजीयन कॉपी से मिलान होने पर ही वाहन मालिक मदन पुत्र ज्ञानीराम जाति भाट निवासी वार्ड नं. 22, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ व जब्तशुदा गौवंशीय पशु का न्यायिक न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में जांच आदि हेतु गौवंशीय पशु की आवश्यकता ना हो तो उक्त जब्तशुदा कुल गोवंश में से शेष 4 गौवंशीय पशु (बच्चे सहित) मालिक निकूराम पुत्र श्री भारताराम जाति भाट निवासी वार्ड नं. 22, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को नियमानुसार सुपुर्द कर दिया जाये। वाहन के इंजिन नम्बर व चैसिस नम्बर ट्रेस कर प्रमाणित प्रति इस न्यायालय को भिजवायें तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेशिका की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना, पीलीबंगा को जरिये पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested